P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-4* ISSUE-7* March- 2017
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

हमारी पुलिस–व्यवस्था और मानवाधिकार

रूपा सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर,
हिन्दी विभाग,
बाबू शोभाराम शासकीय कला महाविद्यालय,अलवर,
राजस्थान

सारांश

हमारी पुलिस व्यवस्था हमें अंग्रेजी–शासन की देन है, जब हम शासक थे और हम पर पुलिस के द्वारा अत्याचार कराया जाता था। स्वतंत्रता के बाद सब कुछ बदला लेकिन वह पुलिसिया चरित्र नहीं बदला। तानाशाही और भ्रष्टाचारी दोनों का नाम पुलिस है। जनता की रक्षा के दायित्व वाले पुलिस के लिए मानवाधिकार ने जो आचार–संहिता रखी है उसका पालन न करने पर वह कठोर दण्ड का भागी हो सकता है। ऐसे में मानवाधिकार–हनन देश को कभी न लोकतांत्रिक बनने देगा न जनता का कानून पर विश्वास हासिल करने देगा। पुलिस–व्यवस्था को सुधार की ओर अग्रसर करना ही मानवाधिकार आयोग का मुख्य उद्देश्य है।

मुख्य शब्द : पुलिस–व्यवस्था, पुलिसिया ताकत, तानाशाही रवैया, सांठ–गांठ, FIR झूठे मुठभेड़, एमनेस्टी इन्टरनेशनल, जनता के सेवक।

प्रस्तावना

महात्मा गांधी ने पुलिस की जरूरत को इंगित करते हुए कहा था–

''अहिंसक राज्य में भी पुलिस की जरूरत हो सकती है। मैं स्वीकार करता हूं कि यह मेरी अपूर्ण अहिंसा का चिह्न है। मुझमें फौज की तरह पुलिस के बारे में भी यह घोषणा करने का साहस नहीं है कि हम पुलिस की ताकत के बिना काम चला सकते हैं। अवश्य ही मैं ऐसे राज्य की कल्पना कर सकता हूं और करता हूँ जिसमें पुलिस की जरूरत नहीं होगी, परन्तु यह कल्पना सफल होगी या नहीं, यह तो भविष्य बतायेगा।''

दरअसल पुलिस की जो छवि आज है वह न तो राष्ट्रपिता ने सोची थी न हमारे संविधान–निर्माताओं या अन्य नेताओं ने। यह सच है कि हमारी पुलिस व्यवस्था हमें अंग्रेजी–शासन की देन है, जब हम शासक थे और हम पर पुलिस के द्वारा अत्याचार कराया जाता था। स्वतंत्रता के बाद कई स्थितियां बदली लेकिन दुर्भाग्यवश पुलिस का वह तानाशाही रवैया नहीं बदला जिस पुलिस पर जनता की रक्षा का दायित्व है जनता उसे देखते ही दूर भागती है। एक पुलिसकर्मी की भर्ती से लेकर प्रशिक्षण और फिर थानों आदि पर नियुक्ति तक में भ्रष्टाचार व्याप्त है। अपराधियों, राजनेताओं के साथ भीतरी सांठ–गांठ के कारण कई बार निर्दोष मार दिये जाते हैं और अपराधी छोड़ दिये जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ईमानदार अफसर नहीं होते हैं लेकिन उन पर इतना दबाव डाला जाता है कि या तो वे आत्महत्या कर लें या फिर कहीं दूर ट्रांसफर करा कर एकाकी जीवन व्यतीत करें। दरअसल ये कमियां मानवाधिकारों के प्रति असजगता से अधिक होती है। यह अवश्य है कि हमारी पुलिस–व्यवस्था के पास सीमित साधन–संसाधन कम होते हैं लेकिन सबसे बड़ा दोष उस जनता का है जो अपने मानवाधिकारों के प्रति सजग नहीं है।

पुलिस–व्यवस्था में मानवाधिकार–हनन

भारतवर्ष में सामान्यतः कानून और व्यवस्था की स्थिति में मानवाधिकार हनन के मुख्यतः निम्नलिखित आरोप पुलिस पर लगते रहते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इसका संज्ञान लिया है। ये आरोप इस प्रकार हैं–

1. FIR (प्रथम दृष्टा रिपोर्ट) दर्ज न करना।
2. आपराधिक मामलों में झूठे गवाह बनाना।
3. गलत बयान दर्ज करना या गवाहों को डरा–धमका कर झूठे बयान दिलवाना।
4. हिरासत में लिये गये व्यक्ति, अपराधी या उसके रिश्तेदारों के साथ दुर्व्यवहार, गाली–गलौच, मारपीट करना।
5. पुलिस–कैद के दौरान दुर्व्यवहार, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देना।
6. कैद में या तफतीश के बहाने यौन–शोषण (विशेषकर महिलाओं के साथ) करना।

7. गैर कानूनी हथकड़ी लगाना, मुंह काला करना या अन्य अमानवीय तरीकों से अपमान करना।
8. कानून की समय–सीमा में हिरासत में लिये व्यक्ति को न्यायाधीश या कोर्ट में न पेश करना या जमानत हो जाने पर न छोड़ना।
9. पुलिस स्टेशन पर गवाहों और रिश्तेदारों को लंबा इंतजार कराना, खाने–पीने, शौच आदि के लिए जो कि नितांत बुनियादी जरूरते हैं, बाहर जाने नहीं देना।
10. लोगों को नंगा करना या अशोभनीय स्थिति में बैठाना।
11. हिरासत में लिये व्यक्ति के अपराध और कैद की जगह की जानकारी रिश्तेदारों या वकील को उपलब्ध न कराना।
12. अपराधी या उसके रिश्तेदारों से घूस लेना या अन्य उपहारों आदि की मांग करना।
13. डॉक्टरी जांच न कराना या देर से कराना।
14. जरूरत के साथ उचित चिकित्सा उपलब्ध न कराना।
15. मोहल्ले, गांवों और कस्बों में जाकर गैर कानूनी सामूहिक सजाये देना।
16. प्रभावशाली लोगों, जमींदारों, नेताओं, गुंड़ो को यह अनुमति देना किवे थाने में आकर अपराधी को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दे सके।
17. प्रभावशाली लोगों के खिलाफ मुकदमें दर्ज करने में आनाकानी करना।
18. प्रभावशाली लोगों को हिरासत के दौरान गैर कानूनी सुविधायें प्रदान करना।
19. गरीब, दलित, अनपढ़, स्त्री या गैर प्रभावशाली व्यक्तियों पर झूठे मुकदमें कायम करना।
20. गैर कानूनी तरीके से या प्रभावशाली दबाव के कारण जांच में जानबूझकर लंबा समय लगाना।

मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु आवश्यक कदम

इन आरोपों के अलावा मानवाधिकार इस बात पर भी आपत्ति दर्ज करती है कि झूठे मुठभेड़ों (False Encounter) में किसी व्यक्ति या निरपराधी को यह कहकर मार दिया जाता है कि उसने पुलिस पर हमला किया था। इसी तरह से कैद में मौत (Custodial Death) तस्करों से सांठगांठ, अंगों की तस्करी में सहयोग आदि के आरोपों को मद्देनजर रखते हुए मानवाधिकर–हनन–संस्थाओं ने कई सकारात्मक पहलू सामने रखे। कई कमीशन और कमेटियों की रिपोर्ट के आधार पर 'एमनेस्टी इन्टरनेशनल' द्वारा दस ऐसे सूत्र दिये गये, जिन्हें अमल में लाना जरूरी है। ये सूत्र इस प्रकार हैं–

1. मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए एक सरकारी–नीति हो।
2. सभी तरह की यातना की निष्पक्ष जांच हो।
3. दुष्कर्मियों पर समुचित कानूनी कार्यवाही हो।
4. हवालाती या कैदियों को उनके अधिकारों का ज्ञान कराया जाये।
5. पुलिस और सैन्यबलों को मानवाधिकार के सम्मान और पुलिस सुधारों के लिए प्रशिक्षित किया जाये।
6. पीड़ित या प्रताड़ित को समुचित मुआवजे का प्रबंध हो।
7. शारीरिक और मानसिक यातना से पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सा और पुनर्वास की व्यवस्था हो।
8. यातना के कारणों और तरीकों की जांच हो।
9. भारत की मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता मजबूत की जाये।

उद्देश्य

उपर्युक्त सुझावों के अतिरिक्त पुलिस कमीषन के सुझावों पर भी गौर करने की आवश्यकता है। पुलिस व्यवस्था का पुनरावलोकन, पुलिसकर्मियों की सेवा–शर्तों में सुधार, जनसहयोग और राजनीतिक इच्छाशक्ति के द्वारा पुलिस की वर्तमान छवि को न केवल सुधारा जा सकता है बल्कि समाज में अपराधों पर अंकुश लगाकर मानवाधिकार का सम्मान और संरक्षण भी किया जा सकता है।

महात्मा गांधी जी ने भारतीय पुलिस की जो कल्पना की थी वह हमारे देश और पुलिस दोनों के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने यह कहा था–

''मेरी कल्पना की पुलिस आजकल की पुलिस से बिल्कुल भिन्न होगी। उसमें सभी सिपाही अहिंसा को मानने वाले होंगे। वे जनता के मालिक नहीं, सेवक होंगे। लोग स्वाभाविक रूप से ही उन्हें हर प्रकार से सहायता देंगे और आपस के सहयोग से दिन–प्रतिदिन घटने वाले दंगों का आसानी से सामना कर लेंगे। पुलिस के पास किसी–न–किसी प्रकार के हथियार तो होंगे, परन्तु उन्हें कम ही काम में लिया जायेगा। असल में तो पुलिसवाले सुधारक बन जायेंगे। उनका काम मुख्यतः चोर–डाकुओं तक सीमित रह जायेगा। मजदूरों और पूंजीपतियों के झगड़े ओर हड़ताले अहिंसक राज्य में यदा–कदा ही होगी क्योंकि अहिंसक बहुमत का असर इतना अधिक रहेगा कि समाज के मुख्य तत्व उसका आदर करेंगे। इसी तरह सांप्रदायिक दंगों की भी गुंजाइश नहीं रहेगी।''

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि – मानवाधिकार के प्रति सचेत रहकर आम जनता पुलिस व्यवस्था का पुनरावलोकन करके अपना जन–सहयोग दे सकती है और पुलिसकर्मी भी मानवाधिकार संरक्षण के द्वारा अपनी स्थितियों को विवेचन समाज के सामने निःसंकोच प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे सुदृढ़ लोकतंत्र की स्थापना तो होगी ही आम जनता अधिकतम सुरक्षित महसूस करेगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1- *पुलिस और लोग–दोनों के अधिकार और जिम्मेदारियां–डॉ. दलबीर भारती, ए.पी.एच. पब्लिशिंग कॉपरपोरेशन, नई दिल्ली, 2007 ।*
2- *मानवाधिकार और कर्तव्य–ललित चतुर्वेदी, रितु पब्लिकेशंस, जयपुर, 2001।*
3- *मानवाधिकार–अर्न्तराष्ट्रीय संगठन एवं कानून (Human Rights, International organization and law) –डॉ. वाई.एस. शर्मा तथा विमलेन्दु तायल, यूनिवर्सिटी बुक हाउस, प्रा.लि., जयपुर–2008 ।*
4- *मानवाधिकार तथा भारतीय संविधान संरक्षण एवं विश्लेषण, प्रदीप त्रिपाठी–राधा पब्लिकेशंस, दिल्ली–2002 ।*

5- *Challenges in Human Rights – A Social Work Perception edited by-Elisabeth Reichard, Rawat Publication, Jaipur-2001.*
6- *Human Rights and Law-Varun Naik and Mukesh Sahni, Crecent Publication Corporation, New Delhi-2011.*
7- *Human Rights of Women – Dr. Chenna Reddy – Mangalam Publication, Delhi- 2010.*